विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा
प्रश्न संख्या तारांकित	:	3015
उत्तर की तिथि	:	10.09.2020
विषय	:	वित्तीय घाटा
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री नरेन्द्र ठाकुर (हमीरपुर)
सम्बंधित मंत्री	:	बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री।

प्रश्न	उत्तर
यह सत्य है कि HPSEBL घाटे में चल रहा है; यदि हां, तो घाटे को कम करने हेतु सरकार क्या पग उठा रही है ?	सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।

तारांकित प्रश्न संख्याः 3015 जो कि श्री नरेंद्र ठाकुर (हमीरपुर) द्वारा वित्तीय घाटा बारे पूछा गया है, से सम्बन्धित सूचना :–

गत तीन वर्षों से HPSEBL लाभ प्राप्त कर रहा है परन्तु वर्ष 2010 से 31 मार्च 2020 तक का संचित घाटा 1520.59 करोड़ रू0 है। वर्षवार लाभ/घाटे का ब्यौरा निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	वर्ष	वार्षिक लाभ/(घाटा) (रू0 करोड़ में)
1	2010–11 (14.06.2010 से 31.03.2011)	380.47 (घाटा)
2	2011–12	512.76 (घाटा)
3	2012–13	340.28 (घाटा)
4	2013–14	136.98 (घाटा)
5	2014–15	113.51 (घाटा)
6	2015–16	10.51 (घाटा)
7	2016–17	44.21 (घाटा)
8	2017–18	3.65 (लाभ)
9	2018–19	3.56 (लाभ)
10	2019–20	10.91 (लाभ) (अपरिक्षित)

इस घाटे को कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार निरन्तर प्रयासरत है तथा निम्न स्तर पर पग उठाए जा रहे हैंः–

1. राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड लिमिटेड को इक्विटी के रूप में सहायता प्रदान कर रही है जिसका वर्षवार ब्यौरा निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	वर्ष	राज्य सरकार से प्राप्त इक्वटी (रू0 करोड़ों में)
1	2012–13	40.00
2	2013–14	44.25
3	2014–15	62.50
4	2015–16	50.00
5	2016–17	49.99
6	2017–18	17.27
7	2018–19	50.00
8	2019–20	35.91

2. **वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफ0 आर0 पी0):–** हिमाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से भारत सरकार द्वारा आयोजित ऊर्जा क्षेत्र के लिए वितीय पुनर्गठन योजना (Financial Restructuring Programme) के तहत 1462.50 करोड़ में से 1235.41 करोड़ के ऋण अल्प अवधि से दीर्घ अवधि को पुनर्संचरित किया गया है।

3. **उज्ज्वल डिस्कॉम ऐश्योरेंस योजना (यू0डी0ए0वाय0):–**.भारत सरकार, राज्य सरकार और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड लिमिटेड में त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड लिमिटेड के 30.09.2015 तक के सभी बकाया ऋणों का 75 प्रतिशत हिस्सा रू0 2890.50 करोड़ पंजाब सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा पांच वर्ष के लिए (back to back loan basis) के आधार पर तथा इसके बाद ग्रांट व इक्विटी में बदला जायेगा जबकि शेष 25 प्रतिशत हिस्से 963.50 करोड़ रू0 में से 325.00 करोड़ रू0 के ऋणों की पुनर्संरचना कर ली है तथा शेष राशि पहले से ही हिमाचल प्रदेश सरकार के पास गारंटी बोंड के रूप में है।

*****